

पत्र संख्या- / पी0-2 / 07-23-27-2021 / 332

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक,

पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 03.06.2022

विषय:- दिनांक-01.04.2020 से दिनांक-31.07.2021 तक सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पुलिस पदाधिकारियों के संविदा नियोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आवश्यक सूचना से संबंधित आलेख संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आज ही कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

M 3/6/22
पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0, प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को बिहार पुलिस के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

M 3/6/22
पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

—:सूचना:—

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7446 दिनांक-23.07.2021 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों (सहायक अवर निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि तक) के प्रोन्नति कोटा के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पुलिस संवर्ग के उक्त कोटि के सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों से संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. दिनांक-01.04.2020 से दिनांक-31.07.2021 तक सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों (सहायक अवर निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि तक), जो पूर्व से नियोजित नहीं हैं, को अगले एक (01) वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जायेगा।

3. यह संविदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तिथि से मात्र अगले (01) वर्ष तक के लिए प्रभावी होगी। एक वर्ष के अन्दर संबंधित पद पर नियमित प्रोन्नति/नियुक्ति से सुयोग्य कर्मियों के उपलब्ध होते ही यह संविदा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

4. यह नियोजन सिर्फ एक बार के लिए होगी।

5. संविदा नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जायेगा, जिस पद से संबंधित कर्मियों सेवानिवृत्त हुए हैं।

6. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक/आपराधिक मामलों में सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दंड नहीं दिया गया हो तथा अंतिम 05 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया हो। इससे संबंधित शपथ-पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

7. आवेदक इस आशय का घोषण पत्र भी समर्पित करेंगे कि वे पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित नहीं हैं।

8. आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

9. नियोजित किये जाने वाले संविदा कर्मियों का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में देय होगा।

10. आवेदनकर्ता, जिस जिला/इकाई से सेवानिवृत्त हुए हैं, वहाँ दिनांक-18.06.2022 तक अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान प्राप्त अभ्यावेदनों को समेकित रूप से आवेदकों के विगत 05 वर्षों के चारित्री अभ्युक्ति के साथ-साथ आवेदक के विगत 05 वर्षों की कार्यों की समीक्षा कर एवं उनके विरुद्ध आरोपों के संबंध में वांछित सूचना सहित अपनी अनुशासा

के साथ प्रस्ताव दिनांक-25.06.2022 तक बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी आवेदन-पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम नियोजन प्राधिकार को होगा। आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।


11. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी आवेदन-पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम नियोजन प्राधिकार को होगा। आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

12. दिनांक-01.04.2020 से 31.07.2021 तक सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो पूर्व में संविदा नियोजन हेतु आवेदन दिया गया है, वह स्वीकार्य होगा। उन्हें फिर से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:-संविदा नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,


पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

संविदा नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का अद्यतन
स्व अभिप्रमाणित
रंगीन पासपोर्ट
साइज फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
5. पत्राचार का पता :-
6. आवेदक की जन्मतिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि:-
7. शैक्षणिक योग्यता :-
8. आरक्षण कोटि:-
9. विभाग/कार्यालय का नाम, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं:-
10. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :-
11. आवेदक का अंतिम मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता की राशि:-
12. सेवानिवृत्ति के समय पेंशन एवं महंगाई भत्ता की राशि :-
(पी0पी0ओ0 की छायाप्रति संलग्न करें)
13. मोबाईल संख्या :-

आवेदक का हस्ताक्षर

संविदा नियोजन हेतु संवर्गवार रिक्तियों की संख्या:-

क्र	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पिछड़े वर्ग की महिला
1	पुलिस निरीक्षक (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03
2	प्रा०पु०नि०(प्रशि०) (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03
3	निरीक्षक(सशस्त्र) (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03
4	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03
5	आशु अवर निरीक्षक (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03
6	अवर निरीक्षक(ऑप) (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03
7	अवर निरीक्षक(सशस्त्र) (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03
8	सहायक अवर निरीक्षक(ऑप) (कुल 100 पद)	26	07	08	11	10	01	03

35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद

पुलिस निरीक्षक	14	03	04	07	06	00	00
प्रा०पु०नि०(प्रशि०)	14	03	04	07	06	00	00
निरीक्षक(सशस्त्र)	14	03	04	07	06	00	00
प्रा०अ०नि०(प्रशि०)	14	03	04	07	06	00	00
आशु अवर निरीक्षक	14	03	04	07	06	00	00
अवर निरीक्षक(ऑप)	14	03	04	07	06	00	00
अवर निरीक्षक(सशस्त्र)	14	03	04	07	06	00	00
सहायक अवर निरीक्षक(ऑप)	14	03	04	07	06	00	00

(ख) पुलिस निरीक्षक(ऑप)-46 पद

क्र	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पिछड़े वर्ग की महिला
9	पु०नि०(ऑप)	10	03	03	05	04	01	01
35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद								
	पु०नि०(ऑप)	06	01	02	03	03	00	00
	कुल	16	04	05	08	07	01	01

(ग) निरीक्षक(आयुद्ध)-18 पद

क्र	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पिछड़े वर्ग की महिला
10	निरीक्षक(आयुद्ध)	04	02	02	02	02	00	01
35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद								
	निरीक्षक(आयुद्ध)	03	00	00	01	01	00	00
	कुल	07	02	02	03	03	00	01

M/3/6/2

(घ) पुलिस अवर निरीक्षक-500 पद

क्र	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	पिछड़े वर्ग की महिला
11	पुलिस अवर निरीक्षक	130	35	40	56	80	04	15
35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद								
	पुलिस अवर निरीक्षक	70	15	20	34	30	01	00
	कुल	200	50	60	90	80	05	15

(च) अवर निरीक्षक(आयुद्ध)-31 पद

क्र	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	पिछड़े वर्ग की महिला
12	अवर निरीक्षक(आयुद्ध)	08	02	03	03	03	01	01
35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद								
	अवर निरीक्षक(आयुद्ध)	04	01	01	02	02	00	00
	कुल	12	03	04	05	05	01	01

(छ) प्रारक्ष अवर निरीक्षक(परिवहन)-93 पद

क्र	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	पिछड़े वर्ग की महिला
13	प्रा0अ0नि0(परिवहन)	24	07	07	11	10	01	03
35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद								
	प्रा0अ0नि0(परिवहन)	14	02	04	05	05	00	00
	कुल	38	09	11	16	15	01	03

(ज) सहायक अवर निरीक्षक-300 पद

क्र	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	पिछड़े वर्ग की महिला
14	सहायक अवर निरीक्षक	78	21	24	34	30	02	09
35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद								
	सहायक अवर निरीक्षक	42	09	12	20	18	01	00
	कुल	120	30	36	54	48	03	09

M/10/2